प्रसार भारती/PrasarBharati

(भारत का लोक सेवा प्रसारक/

India's Public Service Broadcaster)

दूरदर्शन महानिदेशालय/DG : Doordarshan

दूरदर्शन भवन/DoordarshanBhawan

कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg

नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा. सं. ई- 11011/02/2020-हिंदी **दिनांक: 01/12/2020**

विषय :- दूरदर्शन महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक से सम्बन्धित कार्यसूची का अग्रेषण ।

अपर महानिदेशक (वित्त एवं राजभाषा), दूरदर्शन महानिदेशालय महोदया के निदेशानुसार कोविड-19 महामारी के चलते दूरदर्शन महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही की बैठक हेतु कार्यसूची की मदें दूरदर्शन महानिदेशालय की वेवसाइट (www.doordarshan.gov.in) पर अपलोड कर दी गई हैं।

उपर्युक्त के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों से अनुरोध है कि वे कार्यसूची (संलग्न) में उल्लिखित मदों के संबंध मे अपनी टिप्पणियां और विचार यथाशीघ्र (अधिकतम 07 कार्यदिवसों के अंदर) हिंदी अनुभाग के ईमेल (adol_dd@rediffmail.com) पर भिजवाने का कष्ट करें ताकि गृह मंत्रालय, राजभाषा द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुपालन में समय पर अपेक्षित कार्यवाई की जा सके ।

रीता

रीता शर्मा

सहायक निदेशक(रा.भा.)

महानिदेशक के सभी उप महानिदेशक/निदेशक (प्रशा.)/(अभि.)/(कार्य.) एवं अनुभाग अधिकारी ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निदेशक (राजभाषा), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

2. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली क्षेत्र) राजभाषा विभाग, ए-149 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।

3. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य) ।

4. महानिदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर महानिदेशक (वित्त और राजभाषा), दूरदर्शन महानिदेशालय के निजी सचिव/उप-महानिदेशक (प्रशा.-1) एवं (प्रशा.-2) के निजी सचिव ।

5. अपर महानिदेशक (कार्य.), दूरदर्शन महानिदेशक के निजी सचिव ।

6. एनआईसी को कार्यसूची को वेवसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।

<u>दूरदर्शन महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति हेतु कार्यसूची की मदें और टिप्पणियां</u>

मद सं. 1: समिति की दिनांक 24.09.2020 की बैठक हेतु वेबसाइट पर अपलोड किए गए कार्यवृत्त की ऑनलाइन पुष्टि।

समिति की पिछली बैठक (दिनांक 24.09.2020) का कार्यवृत्त अपर महानिदेशक (बजट, लेखा और राजभाषा), प्रसार भारती के निदेशानुसार दिनांक 21.10.2020 को हिंदी अनुभाग के पत्र सं. ई-11011/02/2019-हिंदी के तहत वेबसाइट पर अपलोड और उप महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के मेल पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजा गया था। इस संबंध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाए।

मद सं. 2: समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.09.2020 की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नलिखित है:

क्र.सं.	लिए गए निर्णय	की गई कार्रवाई
1.	हिंदी भाषा/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण।	दूरदर्शन महानिदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कामकज करने हेतु निपुण बनाने के उद्देश्य से दूरदर्शन महानिदेशालय में ही पारंगत की प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई जा रही थीं जिन्हें कोविड-19 के संभावित संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया है। स्थितियां सामान्य होने पर यह कक्षाएं यथास्थिति पुन: प्रारंभ की जाएंगी।

मदसं. 3: विभिन्न अनुभागों की 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा।

महानिदेशालय के केवल निम्नलिखित अनुभागों अर्थात रोकड़ अनुभाग, शिकायत निवारण अनुभाग., पी-1, पी-2, एस-1ए, एस-2, एस-2ए, एस-4, एस-5, ई-1, ई-2, ई-3, ई-4, ई-6 और आर.टी.आई, द्वारा30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट भेजी गई है। बाकी अनुभागों ने अनुस्मारक भेजने के बावजूद रिपोर्ट नहीं भेजी है। **उल्लेखनीय है कि इस संबंध में रा.भा. का. समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में सूचित किया जाता है कि प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के बाद हिंदी अनुभाग को सभी अनुभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को समय पर ऑनलाइन भिजवानी अनिवार्य होती है, अत: महानिदेशालय के सभी अनुभाग/प्रभागों/एककों द्वारा तिमाही की समाप्ति के बाद राजभाषा हिंदी से संबंधित अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को अनिवार्य रूप से** शीघ्रातिशीघ्र भिजवानी अपेक्षित है ताकि इसकी समेकित रिपोर्ट समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जा सके।

मद सं. 4: राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य और उन्हें अभिप्राप्त करने के उपायों पर चर्चा।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 का वार्षिक कार्यक्रम दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी अनुभागों, केंद्रों आदि के ई-मेल पर और दूरदर्शन महानिदेशालय की वेबसाइट (www.doordarshan.gov.in) पर अनुपालन हेतु अपलोड किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त अनुभाग राजभाषा विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयास किए जा सकें। वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	कार्यविवरण	लक्ष्य
	हिंदी में मूल पत्राचार- (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल सहित)	'क' क्षेत्र से' क' क्षेत्र को 100% 'क' क्षेत्र से' ख' क्षेत्र को 100% 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65% 'क' क्षेत्र से 'क' व' ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्तियों को-100 %
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%
4.	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%
5.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%
6.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय	50%
7.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
8.	वेबसाइट	100%(द्विभाषी)
9.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)
10.	I.मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों, (उ.स/निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण II.मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम) 25%(न्यूनतम)

11.	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो	"क" क्षेत्र" ख" क्षेत्र "ग" क्षेत्र 40% 25 % 15% (न्यूनतम अनुभाग)

मद सं. 5. महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण।

राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कम से कम 25 प्रतिशत कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। महानिदेशालय के अंतर्गत लगभग 260 अधीनस्थ कार्यालय/केंद्र हैं । इन कार्यालयों/केंद्रों का निरीक्षण कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियां सामान्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा।

मदसं. 6. हिंदी पुस्तकों की खरीद।

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 20-2021 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कुल धनराशि का 50 प्रतिशत हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में पुस्तकालय को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है। अपेक्षा है कि पुस्तकालय इस संबंध में कार्रवाई करे।

******